रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1971/ज्येष्ठ 7, 1893

No. 318] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1971/JYAIASTHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th May 1971

S.O. 2168.—In exercise of the powers conferred by section 295 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, *namely*:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. In rule 6D of the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (2), in clause (b)—

(a) in sub-clause (i), for the entry "Rs. 100 per day or part thereof.", the entry "Rs. 80 per day or part thereof." shall be substituted;

(b) in sub-clause (ii), for the entry "Rs. 50 per day or part thereof.", the entry "Rs. 40 per day or part thereof." shall be substituted.

3. In rule 19A of the principal rules,—

(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(3) From the aggregate of the amounts as ascertained under sub-rule (2) shall be deducted the aggregate of the amounts, as on the first day of the computation period, of borrowed moneys and debts owed by the assessee (including amounts due towards any liability in respect of tax).

Explanation.—For the purpose of this sub-rule,—

(i) "tax" means—

(a) income-tax or super-tax (including advance tax) due under any provision of the Act;

(b) wealth-tax due under any provision of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(c) gift-tax due under any provision of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958);

(d) super profits tax due under any provision of the Super Profits Tax Act, 1963 (14 of 1963);

(e) surtax due under any provision of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(ii) any liability in respect of tax shall be deemed to have become due—

(a) in the case of advance tax due under any provision of the Act on the date on which such advance tax is payable; and

(b) in the case of any other tax, on the first day of the period within which it is required to be paid.';

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(5) The capital employed in a ship shall be taken to be the written down value of the ship as reduced by the aggregate of the amounts owed by the assessee as on the computation date on account of moneys borrowed or debts incurred in acquiring that ship.

Explanation.—In this sub-rule, "computation date" in relation to a ship means,—

(a) in respect of the previous year in which the ship is first brought into use, the date on which it is so brought into use;

(b) in respect of any subsequent previous year, the first day of such previous year.'.

[No. 160/F. No. 23/FB/71(TPL).]

R. R. KHOSLA, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 28 मई, 1971

का० आ० 2168.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाता है।

1. (1) ये नियम आय-कर (तृतीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 1972 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें आगे मुख्य नियम कहा गया है) के नियम 6घ के, उपनियम (2) के खण्ड (ख) में :—

(क) उपखण्ड (i) में प्रविष्टि "100 रुपए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए", के स्थान पर, प्रविष्टि "80 रुपए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए" प्रतिस्थापित की जाएगी,

(ख) उपखण्ड (ii) में प्रविष्टि "50 रुपए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए", के स्थान पर, प्रविष्टि "40 रुपए प्रतिदिन या उसके भाग के लिए" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

3. मुख्य नियमों के नियम 19 क में, —

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'(3) उपनियम (2) के अधीन यथा अभिनिश्चित रकमों के योग से, निर्धारिती द्वारा उधार लिए गए धन और देय ऋण की रकमों की, जैसी वे संगणना की कालावधि के प्रथम दिन हों, (इसके अन्तर्गत कर सम्बन्धी दायित्व के बारे में, शोध्य रकम भी हैं) कटौती की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ —

(i) "कर" से अभिप्रेत है —

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शोध्य आय-कर या अधि-कर (अग्रिम कर सहित);

(ख) धन–कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के उपबन्धों के अधीन शोध्य धन–कर ;

(ग) दान–कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के उपबन्धों के अधीन शोध्य दान-कर ;

(घ) अधिलाभ-कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14) के उपबन्धों के अधीन शोध्य अधिलाभ-कर;

(ङ) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के उपबन्धों के अधीन शोध्य अतिकर ;

(ii) कर सम्बन्धी दायित्व शोध्य समझा जाएगा —

(क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन शोध्य अग्रिम कर की दशा में, उस तारीख को जब अग्रिम कर संदेय है ; और

(ख) किसी अन्य कर की दशा में, उस कालावधि के प्रथम दिन को जिसके अन्दर उसका संदेय किया जाना अपेक्षित है ;"

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(5) किसी पोत में लगाई गई पूंजी वह रकम मानी जाएगी जो पोत के अवलिखित मूल्य से निर्धारिती द्वारा पोत के अर्जन के लिए उधार लिए गए धन या उपगत ऋणों की बाबत देय रकमों के योग को जैसी, वह संगणना की तारीख को हो, घटाकर आए ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में, "संगणना की तारीख से" किसी पोत के सम्बन्ध में अभिप्रेत है, —

(क) उस पूर्व वर्ष की बाबत जिसमें पोत पहली बार उपयोग में लाया जाता है, वह तारीख जिसको वह इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है ;

(ख) किसी पश्चात्वर्ती पूर्व वर्ष की बाबत, ऐसे पूर्व वर्ष का प्रथम दिन ।'

[सं० 160/फा० सं० 23/एफ० बी०/71— टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971